(ग) यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों के अंतरण या खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय,

सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा,--

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों या खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत, यथास्थिति, ब्याज या धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(ii) खंड (ग) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(iii) आय-कर की वह रकम, जो अनिवासी पर प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

(2) जहां अनिवासी की सकल कुल आय,--

(क) केवल उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, बंधपत्रों या उस उपखंड के खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत धारा 115ण में निर्दिष्ट ब्याज या लाभांशों से भिन्न लाभांशों के रूप में आय से मिलकर बनती है वहां उसके लिए धारा 28 से धारा 44ग या धारा 57 के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन या अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) सकल कुल आय में उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है वहां सकल कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और अध्याय 6क के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी मानो इस प्रकार घटा कर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय हो ।

(3) धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुकों की कोई बात, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें हैं, अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक अभिलाभों की संगणना करने के लिए लागू नहीं होगी ।

(4) किसी अनिवासी के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी देना आवश्यक नहीं होगा, यदि--

(क) उसकी कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, केवल उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय से मिलकर बनती है ; और

(ख) अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की ऐसी आय से कटौती कर ली गई है ।

(5) जहां निर्धारिती ने उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, समामेलक या निर्विलीन कंपनी में अपनी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें या बंधपत्र धारण करने के आधार पर समामेलित या परिणामी कंपनी में सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें या बंधपत्र अर्जित किए हैं, वहां उस उपधारा के उपबंध ऐसी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या बंधपत्रों को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "अनुमोदित मध्यवर्ती" से ऐसा मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जो ऐसी स्कीम के अनुसार अनुमोदित है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करे ;

(ख) "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" का वही अर्थ है, जो धारा 115कगक के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है ।'।

धारा 115कगक का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

'(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो ऐसा व्यष्टि है जो निवासी है और उद्योग या सेवा आधारित विनिर्दिष्ट ज्ञान में लगी किसी भारतीय कंपनी का कर्मचारी है या उद्योग या सेवा आधारित विनिर्दिष्ट ज्ञान में लगे उसके समनुषंगी का कर्मचारी है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निवासी कर्मचारी कहा गया है), की कुल आय में,--

(क) ऐसे कर्मचारी के स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जारी की गई और विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय की गई विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी किसी भारतीय कंपनी की सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर, धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों के रूप में आय ; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय,

सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :--

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत, धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न, लाभांशों के रूप में आय पर, यदि कोइ हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(iii) आय-कर की वह रकम, जो निवासी कर्मचारी पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा" से अभिप्रेत है,--

(i) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर ;

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सेवा ;

(iii) मनोरंजन सेवा ;

(iv) भेषजीय उद्योग ;

(v) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग ; और

(vi) कोई ऐसा अन्य उद्योग या सेवा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ख) "समनुषंगी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 में है और इसके अंतर्गत भारत के बाहर निगमित समनुषंगी भी होगा ।'। 1956 का 1

49. आय-कर अधिनियम की धारा 115खख के खंड (i) में, "चालीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द, 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 115खख का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) में, "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दस प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 115ण का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115त में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे। धारा 115त का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दस प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 115द का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 115ध में, "डेढ़ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सवा प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 115ध का संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :– धारा 139 का संशोधन।

'(1) प्रत्येक व्यक्ति,–

(क) जो कंपनी है ; या

(ख) जो कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो गई थी जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए एक विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व देगा :

परंतु खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे इस उपधारा के अधीन विवरणी देना अपेक्षित नहीं है और ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहा है, जो बोर्ड द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है, अर्थात् :–

(i) वह विनिर्दिष्ट भूमि क्षेत्र से अधिक किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का, चाहे स्वामित्व, अभिधृति के रूप में या अन्यथा, अधिभोगी है, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ; या

(ii) वह ऐसे दुपहिए मोटरयान से, चाहे उसमें अलग होने योग्य ऐसी कोई पार्श्व कार हो, जिसमें ऐसे दुपहिए मोटरयान से जुड़े अतिरिक्त पहिए हों या नहीं, भिन्न मोटरयान का स्वामी या पट्टेदार है ; या

(iii) वह टेलीफोन का अभिदाता है ; या

(iv) उसने किसी विदेश यात्रा पर अपने स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यय उपगत किया है ; या

(v) वह किसी बैंक या संस्था द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का धारक है, जो "आश्रित कार्ड" नहीं है ; या

(vi) वह किसी ऐसे क्लब का सदस्य है, जहां प्रवेश फीस पच्चीस हजार रुपए या अधिक प्रभारित की जाती है ;

पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय की विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए एक विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व देगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनको पहले परंतुक के उपबंध लागू नहीं होंगे :

परंतु यह भी कि प्रत्येक कंपनी प्रत्येक पूववर्ष में अपनी आय या हानि की बाबत विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व देगी।

1988 का 59

स्पष्टीकरण 1--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मोटर यान" पद का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में है ।

स्पष्टीकरण 2--इस उपधारा में, "नियत तारीख" से अभिप्रेत है,–

(क) जहां निर्धारिती कंपनी है वहां निर्धारण वर्ष के अक्तूबर का 31वां दिन ;

(ख) इस उपधारा के पहले परंतुक में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में, निर्धारण वर्ष के अक्तूबर का 31वां दिन ;

(ग) किसी अन्य निर्धारिती की दशा में, निर्धारण वर्ष की जुलाई का 31वां दिन ।

स्पष्टीकरण 3--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "किसी विदेश की यात्रा" पद के अंतर्गत पड़ोसी देशों या ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं है, जिन्हें बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।'।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 139क में, 1 जून, 2001 से,– धारा 139क का संशोधन।

(क) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(5क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कोई ऐसी राशि या आय या रकम प्राप्त की है जिससे कर की कटौती अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन की गई है, ऐसे व्यक्ति को अपना स्थायी लेखा संख्यांक संसूचित करेगा, जो उस अध्याय के अधीन ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात, धारा 115कग की उपधारा (4) या धारा 115खखक की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अनिवासी को अथवा धारा 115छ में निर्दिष्ट किसी अनिवासी भारतीय को लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि इस उपधारा में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक ऐसे समय तक संसूचित करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्यांक का आबंटन नहीं हो जाता ।

(5ख) जहां किसी राशि या आय या रकम का अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती के पश्चात् संदाय किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति के स्थायी लेखा संख्यांक का निम्नलिखित में हवाला देगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी राशि या आय या रकम का संदाय किया गया है :–

(i) धारा 192 की उपधारा (2ग) के उपबंधों के अनुसार दिए गए विवरण में ;

(ii) धारा 203 के उपबंधों के अनुसार दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;

(iii) धारा 206 के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई और किसी आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त या परिदत्त की जाने वाली सभी विवरणियों में :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिससे इस उपधारा के उपबंध किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत लागू होंगे :

परंतु यह और कि उपधारा (5क) और उपधारा (5ख) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में लागू नहीं होगी, जिसकी कुल आय आय-कर से प्रभार्य नहीं है या जिससे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को धारा 197क में निर्दिष्ट इस आशय की घोषणा उसके अधीन विहित प्ररूप और रीति में देता है कि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जाने वाली है, उसकी अनुमानित कुल आय पर कर उसकी कुल आय की संगणना करने में शून्य होगा ।

(5ग) धारा 206ग में निर्दिष्ट कोई क्रेता उस धारा में निर्दिष्ट विक्रेता को अपना स्थायी लेखा संख्यांक संसूचित करेगा ।

(5घ) धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक विक्रेता उस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रेता के स्थायी लेखा संख्यांक का निम्नलिखित में हवाला देगा--

(i) धारा 206ग की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;

(ii) धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई और किसी आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त या परिदत्त की जाने वाली सभी विवरणियों में ।"।

धारा 140क का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 140क में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :--

'(1क) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 234क के अधीन संदेय ब्याज की संगणना, विवरणी में घोषित कुल आय के संबंध में कर की रकम पर की जाएगी जिसमें से संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर घटा दिया जाएगा ।

(1ख) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना, यथास्थिति, निर्धारित कर के बराबर रकम पर या उस रकम पर, जिस तक संदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर से कम आता है, की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारित कर" से विवरणी में घोषित कुल आय पर वह कर अभिप्रेत है, जिसमें से किसी ऐसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है, ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया जाता है, अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत कर की रकम घटा दी जाएगी ।'।

धारा 143 का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) में, 1 जून, 2001 से,--

(क) दूसरे परंतुक में, "उस निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय थी" शब्दों के स्थान पर "उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी जिसमें विवरणी दी जाती है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि जहां विवरणी, 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में पहली बार निर्धारणीय आय की बाबत दी जाती है वहां ऐसी सूचना 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय भेजी जा सकेगी ।"।

धारा 149 का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष व्यपगत हो गए हैं तो जब तक कि वह मामला खंड (ख) के अधीन नहीं आता है;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष किंतु छह वर्ष से अनधिक व्यपगत हो गए हैं तो जब तक कि कर से प्रभार्य ऐसी आय जो निर्धारण से छूट गई है उस वर्ष के लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक नहीं है या होनी संभाव्य नहीं है ।"।

धारा 153 का संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में, 1 जून, 2001 से,--

(क) उपधारा (2) में,--

(i) "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां धारा 148 के अधीन सूचना की तामील, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व की गई थी, वहां ऐसा निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना, 31 मार्च, 2002 तक किसी समय की जा सकेगी ।";

(ख) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 1971 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और उसके पश्चात् के किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 250, धारा 254, धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने के आदेश के अनुसरण में नए निर्धारण का आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 250 या धारा 254 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त अथवा, यथास्थिति, धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है, एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय किया जा सकेगा :

परंतु जहां धारा 250 या धारा 254 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा, यथास्थिति, प्राप्त किया जाता है, या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व पारित किया जाता है, वहां नए निर्धारण का ऐसा कोई आदेश 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय किया जा सकेगा ।";

(ग) उपधारा (3) के खंड (i) का लोप किया जाएगा ।

धारा 154 का संशोधन।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2001 से अंतःस्थापित की जाएगी:--

"(8) उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन संशोधन के लिए कोई आवेदन निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आय-कर प्राधिकारी को 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् किया जाता है वहां वह प्राधिकारी उस मास की, जिसमें उसके द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है, समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर निम्नलिखित के लिए आदेश पारित करेगा,-

(क) संशोधन करने ; या

(ख) दावा अनुज्ञात करने से इंकार करने ।"।